न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :– 2024/182

1. बसाऊ राम पुत्र श्री इमी लाल जाति मेघवाल निवासी चक 8 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

वादी

बनाम

1. मरियादेवी पत्नि स्व. भादरराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 17, खाजूवाला जिला बीकानेर
2. पार्वती पत्नि स्व. हरीराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 17, खाजूवाला जिला बीकानेर
3. भौमाराम पुत्र श्री जसराम जाति कुम्हार निवासी 4 के.एस.पी. (मसाणी) तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ राजस्थान
4. उप पंजीयक खाजूवाला
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला

.... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक :–22.05.26

यह वादपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है वादी की खरीदशुदा कृषि भूमि वाके चक 8 के.जे.डी. (ए) का मुरब्बा नं. 102/18 के किला नं. 19/2 की 0.16 बीघा (0.2023 हैक्टेयर) खातेदारी दर्ज रिकार्ड जमाबंदी है जिसकी प्रति सलंग्न वाद पत्र है। वादी उक्त भूमि पर खरीद दिनांक से ही काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। वादी का निरन्तर शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। वादी ने काफी खर्चा कर कड़ी मेहनत कर वादगत भूमि सुधार कर उपजाऊ बनाई है। वादी के पडौस मे प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 का भी भूखण्ड है जो वादी की उक्त भूमि पर बूरी नजर रखते है। जो कि लगातार वादी की उक्त भूमि की सींव तोडकर उसमे घुसने का प्रयास करते है। वादी ने अनेक बार समझाईश की परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 वादी के अनुसूचित जाति का होने से नाराजगी रखते है तथा कहते है कि यहां तुम मेघवाल जाति के लोगो का क्या काम है जमीन हमारे सुपूर्द कर दो नही तो हम जबरन तुम्हे बेदखल कर कब्जा कर लेंगे। यदि प्रतिवादीगण उक्त मकसद मे कामयाब हो गये तो वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी व उसका आंकलन भी नही हो सकता है। वादी रिकॉर्डेड खातेदार है। प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 केवल नाजायज रूप से वादी को बेदखल करना चाहते है जबकि कानूनन वादी खातेदार घोषित होने का अधिकारी है। इस प्रकार वादी का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। दिनांक 09.02.2025 को प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 व अन्य व्यक्ति मौका पर आये तथा वादी के कमरे का गेट तोड दिया तथा कब्जा करने का प्रयास किया परन्तु झगडा की सूचना पाकर पुलिस मौका पर आ गई तो प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 धमकी देकर गये है कि हम पुनः आयेंगे व तुम्हे बेदखल कर कब्ज करेंगे। उक्त घटना से वाद हेतूक प्राप्त हुआ है। प्रतिवादी संख्या 04 व 05 केवल लेण्ड रिकार्डधारी होने से पक्षकार बनाया गया है। उनसे कोई विशेष रिलिफ नही चाहिए। वाद पत्र दो प्रतियों मे श्रीमानजी के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार मे पेश है। वाद पत्र बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे। वादी की खातेदारीशुदा

कृषि भूमि तहसील खाजूवाला के चक 8 के.जे.डी. (ए) के मुरब्बा नं. 102/18 के किला नं. 19/2 मे 0.16 बीघा अनकमाण्ड भूमि मे प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नही करे, ना ही वादी को बेदखल करे या करावे तथा वादी के कब्जा काश्त मे दख्लअन्दाजी नही करे, ना ही वादगत भूमि मे प्रवेश करे, इसी आश्य की चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के खिलाफ जारी की जावे व वादगत भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

सर्वप्रथम वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात प्रतिवादी सं0 1 ता 3 को नोटिस भिजवाने के बावजूद हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नहीं होने पर साक्ष्य वादी बंद किये गए। तत्पश्चात वादी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 92 ए आरटीएक्ट सपठित आदेश 6 नियम 17 एवं धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया जिसके अनुसार प्रार्थी ने उपरोक्त अनवान का वाद पत्र धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट के तहत पेश अदालत किया था। जिसमे वर्णित वादगत भूमि चक 8 के.जे.डी. (ए) का मुरब्बा नं. 102/18 के किला नं. 19/2 की 0.2023 हैक्टेयर भूमि वादी के नाम खातेदारी जमाबंदी मे दर्ज है। प्रार्थी जाति से मेघवाल है जो कि अनुसूचित जाति मे आती है तथा अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 एक ही परिवार के सदस्य है जो जाति से कुम्हार है तथा अनुसूचित जाति या जनजाति से नही है। अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 प्रार्थी के अनुसूचित जाति मेघवाल होने से रंजिश रखते है तथा येनकेन प्रार्थी को तंग व परेशान करते है व प्रार्थी की उक्त भूमि को कब्जाने की फिराक मे है तथा सींव मे तोड़कर घुसने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी को बेदखल करना चाहते है। जबकि कानून की धारा 42 आर.टी.एक्ट. के तहत आईजीएनपी क्षेत्र मे एससी/एसटी की भूमि किसी भी सामान्य जाति के सदस्य को हस्तान्तरित नही हो सकती है। प्रार्थी द्वारा 88, 188 आर.टी.एक्ट. के साथ धारा 92 (ए) आर.टी.एक्ट. के तहत विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 इस आश्य का व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी है कि अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 प्रार्थी की भूमि मे प्रवेश नही करे, ना ही प्रार्थी को बेदखल करे, ना ही किसी प्रकार से मालिकाना हक जताए, ना ही किसी भी प्रकार के हस्तान्तरण से बाज ममून रहे, किसी भी प्रकार से प्रार्थी के कब्जा काश्त, रिहायश मे दख्लअन्दाजी नही करे। न्यायहित मे आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 सी.पी.सी. के तहत वाद पत्र मे धारा 92 (ए) के तहत व्यादेश का अनुतोष शामिल कर प्रदान करे। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र मे धारा 92 (ए) आर.टी.एक्ट. संशोधित कर उक्त आश्य का व्यादेश प्रदान करने का अनुतोष भी संशोधित कर शामिल कर प्रार्थी को न्याय दिलावे। प्रार्थी/वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 92 ए आरटीएक्ट सपठित आदेश 6 नियम 17 एवं धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर संशोधन स्वीकार किया गया। पत्रावली पर सुना गया। वादी अधिवक्ता ने वादी के वादपत्र के कथनों व संशोधन अनुसार वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। मुताबिक जमाबंदी उक्त वादगत भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अतः वादी का वादपत्र धारा 88, 92ए, 188 आरटीएक्ट व धारा 151 में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे आंशिक स्वीकार किया जाता है। चिरनिषेधाज्ञा/व्यादेश इस आश्य का जारी किया जाता है कि प्रतिवादी सं0 1 ता 3 वादी के कब्जाकाश्त रिहायश खातेदारी शुदा भूमि चक 8 के.जे.डी. (ए) का मुरब्बा नं. 102/18 के किला नं. 19/2 की 0.2023

हैक्टेयर भूमि में दखलअन्दाजी नहीं करे ना ही कोई ऐसा कृत्य या अकृत्य करे या करावें जिससे वादी के हक–हकूकों, कब्जाकाश्त, उपयोग–उपभोग पर बेजा असर पड़े। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक नियमानुसार पालना करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22.05.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)